## प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



## भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

.वेबसाइट **:** www.rbi.org.in/hindi Website : www.rbi.org.in ई-मेल/email **:** <u>helpdoc@rbi.org.in</u>

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1183



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,

Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

11 नवंबर 2022

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश–शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर - अवधि बढ़ाना

शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 मई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.DSD.No.S782/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 13 मई 2022 की कारोबार की समाप्ति से छह माह अर्थात् 12 नवंबर 2022 तक निदेशाधीन रखा गया था।

- 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश दिनांक 10 नवंबर 2022 के निदेश सं DOR.MON.D-41/12.07.167/2022-23 के अनुसार बैंक पर दिनांक 12 फरवरी 2023 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।
- 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 10 नवंबर 2022 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।
- 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक